संख्याः 23 /XXIII/2010/68/2009

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग   देहरादूनः   दिनाँकः 13 जनवरी, 2010।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान की धनराशि व्यय हेतु निवर्तन में रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा 03–अधिष्ठान शीर्षक के अन्तर्गत मानक मद "16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" में आवंटित धनराशि रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2010 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान सं0–08 के लेखा शीर्षक–2039–राज्य उत्पादन शुल्क, 00, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–अधिष्ठान के मानक मद "16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव

संख्याः 23(1) /XXIII/2010/68/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

budget